

क्रमांक: प. 9(14)गृह-5/2020

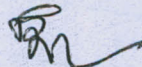
जयपुर, दिनांक : 18 MAR 2020

आदेश

भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है एवं वर्तमान में राजस्थान राज्य में भी COVID-19 के 02 केस पाये गये हैं एवं उक्त बढ़ते हुए प्रकोप की रोकथाम हेतु राज्य में विभिन्न गतिविधियां युद्ध स्तर पर संचालित की जा रही हैं। यातायात पुलिस के कार्मिकों द्वारा Breath Analyser का उपयोग किया जाता है जो कि COVID-19 के प्रसार का कारक हो सकता है।

अतः उक्त स्थिति के दृष्टिगत यातायात पुलिस द्वारा Breath Analyser का उपयोग अग्रिम आदेश तक नहीं किये जाने पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाती है।

आज्ञा से,


(एन.एल.मीश्रा)

शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात, राजस्थान, जयपुर।
7. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
9. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
- ✓ 10. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6) विभाग विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।


(रवि शर्मा) 18/03

वरिष्ठ शासन उप सचिव

उप सचिव
17/3/20